क्रम-संख्या—179

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 15 मार्च, 1986

फाल्गुन 24, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 617/सत्रह—वि—1—1(क)—3-1986

लखनऊ, 15 मार्च, 1986

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 14 मार्च, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1986.

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1986)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

(2) यह 30 नवम्बर, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 8 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 8 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "बेचने और सम्भरित करने" के स्थान पर शब्द "बेचने या सम्भरित करने" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

"(4) शक्कर के कारखाने का अध्यासी, अपने द्वारा बेचे गये या सम्भरित किये गये शीरे पर राज्य सरकार को, नियत रीति से, पांच रुपये प्रति क्विन्टल से अनधिक ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, प्रशासनिक प्रभार का देनदार होगा।

(5) अध्यासी उस व्यक्ति से जिसे शीरा बेचा या सम्भरित किया जाय ऐसे प्रशासनिक प्रभार की धनराशि के बराबर धनराशि शीरे के मूल्य के अतिरिक्त वसूल करने का हकदार होगा।"

धारा 22 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(ङङ) रीति जिसके अनुसार धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन देय प्रशासनिक प्रभार वसूल किया जायगा;"।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश [शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्र
अध्यादे
संख्या
सन् 19

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 617 (2) /XVII-VI-1—1 (KA) -3-1986

Dated Lucknow, March 15, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1986) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 14, 1986:

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1986

(U. P. Act no. 5 of 1986)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964

It is hereby enacted in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 30, 1985.

Amendment of section 8 of U. P. Act no. XXIV of 1964

2. In section 8 of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "sell and supply", the words "sell or supply" shall be *substituted*;

(b) *after* sub-section (3), the following sub-sections shall be *inserted*, namely :—

"(4) The occupier of a sugar factory shall be liable to pay to the State Government, in the manner prescribed, administrative charges at such rate, not exceeding five rupees per quintal as the State Government may from time to time notify, on the molasses sold or supplied by him.

(5) The occupier shall be entitled to recover from the person to whom the molasses is sold or supplied an amount equivalent to the amount of such administrative charges, in addition to the price of molasses."

Amendment of section 22

3. In section 22 of the principal Act, in sub-section (2), *after* clause (*e*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*ee*) the manner in which the administrative charges payable under sub-section (4) of section 8 shall be realised;".

Repeal and saving

U. P. Ordinance no. 17 of 1985

4. (1) The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhyadesh, 1985, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 297 सा० (विधा०)—( )—1986–850 (मेक०)।